न्यायालय, श्री कुमार कौशल किशोर, अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, सुपौल।
पिपरा थाना काण्ड संख्या–392 / 2025

	<u>जमानत आवेदन संख्या–281 / 2026</u> **1. अमोद कुमार ठाकुर, उम्र करीब–25 वर्ष, पिता–बुचाई कुमार ठाकुर उर्फ बुच्चाई ठाकुर, साकिन–बेगायपट्टी, वार्ड नं0–5, थाना–राघोपुर, जिला–सुपौल.....आवेदक अभियुक्त।** **बनाम्** **बिहार सरकार.....विपक्षी।**	
<u>16.05.2026</u>	प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन आवेदक / अभियुक्त **अमोद कुमार ठाकुर** की ओर से दाखिल किया गया है, जो पिपरा थाना कांड संख्या–392 / 2025 अन्तर्गत धारा–**319(2), 318(4), 61(2) B.N.S and 15(2) Indian Medical Council Act and 16(2), 39(2/3) Clinical Establishment Act.** से संबंधित है तथा आवेदक अभियुक्त दिनांक 02.04.2026 से काराधीन है तथा जिनका यह वाद विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम श्रेणी, श्री भवेश कुमार, सुपौल के न्यायालय में लंबित है। जमानत के बिन्दु पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजेश कुमार सिंह को सुना। अभियोजन का केस संक्षेप में यह है कि सूचक, डॉ0 सुनील कुमार चंद्रा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपरा के टंकित आवेदन के आधार पर संस्थित पिपरा थाना कांड संख्या–392 / 2025 अन्तर्गत धारा–**319(2), 318(4), 61(2) B.N.S and 15(2) Indian Medical Council Act and 16(2), 39(2/3) Clinical Establishment Act.** के तहत यह आरोप लगाते हुये दर्ज कराया गया है कि, दिनांक 27.11.2025 को समय लगभग 02:30 बजे अपराह्न में अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा जानकारी के आधार पर पंचायत–दुबियाही, वार्ड नं0–17 के कुलानन्द चौक पर अवैध नर्सिंग होम पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पिपरा की अध्यक्षता में प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक, पिपरा, थाना प्रभारी, पिपरा (दल–बल) के साथ छापामारी की गई। कुलानन्द चौक पर पहुंचने के पश्चात् पाया गया कि एक टुटे–फुटे बांस एवं चदरे से बने घरो में एक कमरे में एक महिला विस्तर पर लेटी हुई थी, जिसमें कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था और उनके परिजन वहां बैठे हुये थे। परिजन से बातचीत के दौरान पता चला कि श्रीमति सतनी देवी, वार्ड नं0–17, पंचायत–दुबियाही का बच्चेदानी का ऑपरेशन किया गया है। परिजन से पूछने पर बताया गया कि बगले के दुसरे कमरे में ऑपरेशन किया गया, जब कमरे का निरीक्षण एवं जांच–पड़ताल किया गया तो कमरे को देखने से प्रतीत हो रहा था कि यहां पर ऑपरेशन हुआ है। साक्ष्य के रूप में कुछ दबाईयॉ, हेलोजन लाईट और एक टेबुल जिसका उपयोग ऑपरेशन में किया जा सकता है, पाया गया। इस छापेमारी के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सुपौल भी मौजूद थे। परिजन से बातचीत में बताया गया कि जो डॉ0 आमोद कुमार एवं उनके टीम के द्वारा ऑपरेशन कर बच्चेदानी को निकाल दिया गया। आगे परिजन के द्वारा बताया गया कि डॉक्टर का घर इसी आस–पास में है तथा डॉक्टर यहां नहीं आया है। जब अगल–बगल के लोगों से पूछताछ के दरम्यान पता चला कि	लगातार

न्यायालय, श्री कुमार कौशल किशोर, अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, सुपौल।
पिपरा थाना काण्ड संख्या–392 / 2025

लगातार 16.05.2026	डॉ0 आमोद कुमार ठाकुर, पिता–बुचाय कुमार ठाकुर, साकिन–बेगापट्टी, पंचायत–हुलास, वार्ड नं0–5, प्रखण्ड–राघोपुर, अंचल–राघोपुर, जिला–सुपौल का रहने वाला है। भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार इस तरह के निर्मित शल्य कक्ष एवं अस्पताल जो मानक के अनुरूप नहीं बना हुआ हो तथा अस्पताल संचालित करने हेतु लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया हो, अवैध माना जाता है। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वे निर्दोष हैं तथा उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त के द्वारा वर्तमान नियमित जमानत आवेदन के पूर्व श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1764 / 2025 दाखिल किया गया था जो सुनवाई हेतु श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, सुपौल के द्वारा सुनवाई पश्चात् अस्वीकृत कर दिया गया था, जिसके पश्चात् किसी वरीय न्यायालय में अन्य कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। पैरवीकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्राथमिकी में आरोपित धारा–**118(4)** भारतीय न्याय संहिता अजमानतीय है, जो सिर्फ और सिर्फ मुकदमा को गंभीर व अजमानतीय बनाने के उद्देश्य से वर्तमान मुकदमा में गलत ढ़ंग से जोड़ा गया है। प्राथमिकी में आरोपित साक्ष्य के मुताबिक धारा–**118(4)** भारतीय न्याय संहिता आवेदक अभियुक्त के खिलाफ लागू नहीं होता है। आवेदक के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अवैध क्लिनिक नहीं चलाया जा रहा था एवं न ही किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन प्रार्थी अभियुक्त के द्वारा किया गया है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 02.04.2026 से कारा में संसीमित हैं तथा वे न्यायालय द्वारा संतुष्टिपरक बंध–पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर नियमित जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक नियमित जमानत आवेदन का विरोध करते हुये निवेदित करते हैं कि आवेदक अभियुक्त के द्वारा अवैध रूप से क्लिनिक चलाकर बच्चेदानी का ऑपरेशन करने का आरोप है, जो जघन्य प्रकृति का है। अतः उनकी ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन खारिज होने योग्य है। उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं तथा प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्त के उपर अवैध रूप से क्लिनिक चलाकर बच्चेदानी का ऑपरेशन करने का आरोप है। काण्ड दैनिकी की कंडिका–34 में साक्षी गंगा सरदार का बयान है, इन्होंने अपने बयान में बताये कि ये सतनी देवी के पति हैं, इनकी अपनी पत्नी का ईलाज आवेदक अभियुक्त के क्लिनिक से चला रहा था, आवेदक अभियुक्त इनकी पत्नी का बच्चेदानी का ऑपरेशन बाहर से डॉक्टर मंगवाकर करवाये। कंडिका–35 में साक्षी श्यामवती देवी का बयान है, इन्होंने अपने बयान में बतायी है कि यह सतनी देवी के बहू है, इनकी सास बहुत दिन से बीमार थी, कई जगह से इन्होंने अपनी सास का ईलाज करवायी, परन्तु कुछ नहीं हो पाया, आवेदक अभियुक्त इनकी सास के बच्चेदानी का ऑपरेशन अपने क्लिनिक पर बाहर से डॉक्टर बुलाकर करवाये। कंडिका–48 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध राघोपुर थाना में	

न्यायालय, श्री कुमार कौशल किशोर, अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, सुपौल।
पिपरा थाना काण्ड संख्या–392 / 2025

लगातार 16.05.2026	कोई काण्ड दर्ज नहीं है तथा आवेदक अभियुक्त दिनांक 02.04.2026 से कारा में संसीमित हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारा में बिताये अवधि को देखते हुए इन आवेदक अभियुक्त **अमोद कुमार ठाकुर** को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक अभियुक्त को मो0–10,000 / – रु0 के समान राशि के दो प्रतिभूओं के जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त्त के साथ दिया जाता है किः– 1. आवेदक अभियुक्त के दो जमानतदारों में से एक जमानतदार उनके सगे–संबंधी होगे, 2. आवेदक अभियुक्त वाद के अनुसंधान में सहयोग करेगें, 3. आवेदक अभियुक्त यदि गवाह या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ व प्रभावित करते हैं तो अभियोजन को जमानत रद्द करने हेतु निवेदन करने का अधिकार होगा। इस आशय का लिखित वचनबद्धता (Undertaking) विचारण न्यायालय में दाखिल करेंगे। लेखापित **(कुमार कौशल किशोर)** अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, सुपौल।	